लोन दिलाने का झांसा देकर हड़पे मकान के कागजात

- आरोपी ने कागजात की एवज में मांगे 10 लाख रुपए
- पीड़ित ने कराया रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज, पुलिस जुटी जांच में

अजमेर, (कासं)। पीड़ित रेलवे से रिटायर कर्मचारी सुभाष नगर निवासी रणछोड़लाल मीणा ने रामगंज थाने में प्राइवेट संस्थान से कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर मकान के कागजात हड़पने और कागजात लौटाने की एवज में 10 लाख रुपए मांग ब्लैकमेल करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। रामगंज थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई मनीराम कर रहे हैं।

रामगंज थाने के जांच अधिकारी एएसआई मनीराम ने बताया कि राजीव कॉलोनी सुभाष नगर निवासी रणछोड़लाल मीणा ने हजारी बाग पॉवर हाउस निवासी कमल किशोर के खिलाफ रामगंज थाने में मामला मुकदमा दर्ज दर्ज कराया है। पीड़ित रणछोड़लाल मीणा ने रिपोर्ट में बताया कि वह और आरोपी कमल किशोर दोनों ही रेलवे से रिटायर है और परिचित भी है। उन्होंने बताया कि उनकी एक सम्पत्ति है, जिस संबंध में उसने नगर परिषद अजमेर से 15 जुलाई 2007 को स्वामित्व प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था। इसका क्षेत्रफल 84 वर्गगज है। वह बतौर मालिक काबिज है। उक्त सम्पति को गिरवी रख अजमेर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक अजमेर से लोन भी लिया था। लोन राशि 25 नवम्बर 2014 को चुका भी दी, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। आरोपी कमल किशोर काफी लम्बे समय से उनके सम्पर्क में था और उसका विश्वास पात्र था। उसने प्राईवेट वित्तीय संस्थान से कम ब्याज पर लोन दिलवाने का विश्वास दिलाया, जब मीणा को दो लाख की जरूरत पड़ी तो कमल ने अपने परिचित से बात की और उससे कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। उसने मकान के कागजात भी मूल रूप से बतौर सिक्योरिटी लेने की बात कहीं। मीणा ने विश्वास कर मकान के मूल कागजात सौंप दिए और उसने एक लाख पचास हजार रुपए का लोन दिलवाया। उन्होंने बताया कि दर्ज शिकायत में बताया गया कि उक्त राशि चुका भी दी गई।

पीड़ित मीणा द्वारा कमल से मकान के मूल दस्तावेजों की मांग की, जिस पर आरोपी टालमटोल का रवैया अपना रहा और इस तरह से करीब एक वर्ष का समय बीत गया और लॉकडाउन के कारण कार्रवाई नहीं कर पाया। पीड़ित ने बताया कि अब आरोपी कमल उससे 10 लाख रुपए ऐंठने का प्रयास कर रहा है। मकान के कागजात नहीं देकर परेशान किया जा रहा है। साथ ही उसके मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए दबाव बना रहा है। पीड़ित मीणा ने पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आनासागर झील के किनारे हो रहे विकास कार्यों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

अजमेर, (कासं)। अजमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आनासागर झील के किनारे-किनारे अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। पुष्कर रोड स्थित लेकफ्रंट बर्ड पार्क, सागर विहार बर्ड पार्क, अरबन हाट फूड कोर्ट बनकर तैयार हो गए हैं। आनासागर पाथ वे प्रथम एवं द्वितीय का कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार वैशाली नगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के सामने 7 वंडर का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। जल्द ही स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को इसकी भी सौगात मिलने जा रही है। झील के किनारे किए जा रहे विकास कार्य पर्यटन को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होंगे।

दूनिया के सात अजूबों को देखने का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। इन अजूबों को असली सात अजूबों की हुबहू नकल कर बनाया जा रहा है। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 वंडर का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। वैशाली नगर स्थित महेश्वरी पब्लिक स्कूल के सामने 10.5 करोड़ की लागत से लगभग 1 हेक्टेयर भूखण्ड इसका निर्माण आनासागर के किनारे किया जा रहा है। यहां पर पेरिस के एफिल टावर का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। यहां पर हूबहू प्रतिकात्मक टावर का निर्माण किया जा रहा है।

बसंत पंचमी पर गार्गी एवं प्रोत्साहन पुरस्कार दें सरकार : देवनानी

अजमेर, (कासं)। भाजपा नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि बसंत पंचमी सामने हैं लेकिन राज्य सरकार ने अब तक पिछले साल 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षा में उत्तीर्ण होनहार बेटियों को गार्गी व प्रोत्साहन पुरस्कार देने की दिशा में अब तक 'हाथ-पॉव हिलाना' भी शुरू नहीं किया है। राज्य सरकार नींद में है। बालिका शिक्षा का केवल हो-हल्ला कर थोथी वाहवाही लूटने वाली कांग्रेस सरकार बसंत पंचमी पर ही प्रदेश की सवा सात लाख होनहार बेटियों को गार्गी और प्रोत्साहन पुरस्कार देने की तरफ ध्यान दें। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में 10वीं व 12वीं की होनहार बालिकाओं को बढावा देने के लिए वर्ष 1998 में प्रदेश में गार्गी पुरस्कार एवं 2008 में प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरूआत की थी जिसके स्वरूप बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रति. से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 10वीं की बालिका को दो किस्तों में 6 हजार व 12वीं की बालिकाओं को एक किस्त में 5 हजार के साथ प्रमाण पत्र दिया जाना तय हुआ।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व सांधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की राजस्व ग्राम नौसर योजना के आवासीय भूखण्ड के खसरा संख्या 866 व क्षेत्रफल 338.13 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्रीमती विमला पांडे पत्नि श्री दुर्गा प्रसाद पांडे, जाति ब्राह्मण निवासी12, प्रिंस पैलेस, रूकमणी मार्ग, मदार साहब रोड़ कुन्दन नगर, अजमेर की मृत्यु दिनांक 09.06.2016 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अपंजीकृत वसीयतनामा रजिस्टर क्रमांक 495/08 दिनांक 07.03.2008 श्री नोटेरी पब्लिक शैल कुलश्रेष्ठ द्वारा रजिस्टर्ड कर निष्पादित किया गया, नोटेरी वसीयतनामा संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री दुर्गा प्रसाद पांडे पुत्र श्री बद्री प्रसाद पांडे, जाति ब्राह्मण, निवासी 12, प्रिंस पैलस, रूकमणी मार्ग, मदार साहब रोड़, कुन्दन नगर अजमेर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत मोटरास पंचायत समिति बदनोर, भीलवाड़ा

क्रमांक/निविदा/2021-22/एसपीएल2 दिनांक :- 17.01.2022

ग्राम पंचायत मोटरास द्वारा निम्नांकित कार्यो के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

UBN NO -ZBL2122WSRC01605 TO ZBL2122WSRC01608

अन्य विवरण जैसे निविदा शुल्क, धरोहर राशि निविदा प्रस्तुत करने/खुलने की तिथि व विवरण इत्यादि कार्यालय समय में ग्राम पंचायत कार्यालय व www.sppp.rajasthan.gov.in द्वारा जानी जा सकती है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मोटरास

ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे की गिरदावरी करवाए जाने की मांग

बिजयनगर, (निसं)। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि से किसानों के हुए नुकसान को लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत मंगलवार को पत्रकारों के साथ रूबरू हुए। तेजा चौक स्थित पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा के आवास के समीप आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश सिंह रावत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बताया कि कांठोस के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के 10 दिन में ऋण माफ किए जाने की बात कही थी कांग्रेस की गहलोत सरकार के 3 साल पूर्ण होने के बावजूद किसान ऋण माफी नहीं की गई प्रदेश के युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने एवं किसान को प्रति माह 833 रू की सब्सिडी देने का वादा किया गया था जिससे पूरा नहीं किया गया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बेरोजगारों, किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है।

जरूरतमंदों के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं अहम भूमिका निभाए : यादव

निगम आयुक्त देवेन्द्र कुमार यादव व स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम ने जरूरतमंदों को स्वेटर बांटे।

अजमेर, (कासं)। नगर निगम अजमेर के आयुक्त देवेंद्र कुमार यादव ने कहा कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं अहम भूमिका निभाएं। आयुक्त यादव आज आदर्श नगर में जवाहर फाउंडेशन एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से औपचारिक बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गरीब तबके की सहायता से बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं है।

नगर निगम अजमेर के आयुक्त देवेंद्र कुमार ने सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा करने पर जमकर सराहना की। कार्यक्रम के संयोजक महेश चौहान ने बताया कि कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के लिए जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष उद्योगपति एवं समाजसेवी रिजु झुनझुनवाला के निर्देशानुसार कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के लिए आज आदर्श नगर में नगर निगम अजमेर के आयुक्त देवेंद्र कुमार यादव, स्वास्थ्य अधिकारी रुपाराम चौधरी, जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल मनोनीत पार्षद सुनीता चौहान के नेतृत्व में निर्धन असहाय एवं जरूरतमंदों को स्वेटर वितरित किए गए।

इस अवसर पर अजमेर देहात जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष जय शंकर चौधरी ओबीसी विभाग के संयोजक मामराज सेन, नवीन कच्छावा, हेमराज सिसोदिया, मनीष सेन, छोटू सिंह रावत, राजेश सांखला, सेवाराम चौहान, रामअवतार यादव, चेतन, गुलशन सिंह, जिगर चौहान आदि ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जरूरतमंदों को 100 स्वेटर वितरित किए।

सूचना

स्टेट लेवल एन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑथोरिटी उदयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.1(a)B2 (16546)/2019-20 Jaipur दिनांक 13/1/2022 द्वारा श्री योगेश सालवी पुत्र श्री भगवती लाल सालवी निवासी 177, यू.आई.टी. कॉलोनी, प्रतापनगर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या 117/2018 क्षेत्रफल 1.0141 हैक्टर, निकट ग्राम एकलसिंगा, तहसील केकरी, जिला अजमेर के पक्ष में पर्यावरण क्लियरेंस जारी की गई है। पर्यावरण क्लियरेंस की प्रति राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल (राज.) (SEIAA) राजस्थान जयपुर व सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध है तथा इसे राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाईट www.rpcb.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक:-न.नि.अ./एम.बी.792 दिनांक 14.01.2022

आपत्ति सूचना

श्री सुरेश कुमार थदानी पुत्र श्री अमर थदानी एवं श्रीमती ममता थदानी पत्नी श्री अमर थदानी निवासी मकान नं. 01/1938 कायस्थ कॉलोनी लेन नम्बर 3 एस.बी.आई. बैंक के पीछे, अजमेर द्वारा एक सम्पति/भूखण्ड जिसका ए.एम.सी. नम्बर 475/18,78/10 425/4 स्थित है जो वाके सिविल लाईन्स अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 105.34 व.मी. है भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है :-

पूर्व :- सम्पति ए.एम.सी. नं. 475/18,78/10 425/4 का भाग जो स्व. श्रीमती शीला माथुर की है। पश्चिम :-सम्पति श्री दयाल हरजानी पुत्र श्री किशनचन्द हरजानी

उत्तर : इसी सम्पति का शेष भाग दक्षिण- सड़क सावित्री कॉलेज रोड़

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

LSG/BEAWAR/MUT/2021-22/20339 DATE-02.01.2022

रजि.हक-परित्याग

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्र./नगरीय विकास कर/2021-22/9045

दिनांक-18/01/2022

सार्वजनिक सूचना

श्री भगवती प्रसाद सोनी पुत्र श्री कन्हैयालाल सोनी निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 5/3 लोकाशाह नगर मकान नं. 441 का भाग 441 ए क्षेत्रफल 75.00 व.ग. जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में उक्त सम्पति श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि श्री कन्हैयालाल जी सोनी के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि. हक-परित्याग दिनांक 14.01.2021 श्री प्रेमदेवी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 16.12.2005 शपथ पत्र क्रमांक AY 292485 का प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अत: इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त,नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद ब्यावर

Tel.No.01462-258665 Email add.npbeawar.gmail.com

क्रमांक/नजूल/21-22/आपत्ति आमंत्रण सूचना/PSKG/ दिनांक :-

आपत्ति आमंत्रण सूचना

श्रीमती सुमित्रा कोठारी पत्नि श्री गौतमचंद कोठारी निवासी ब्यावर ने नगर परिषद, ब्यावर में विधमान पोखरगंज, ब्यावर में स्थित प्लाट नम्बर 42 से लगती हुई खांचा भूमि क्षेत्रफल (2'9"+12'9")/ 2 X30' X 1/9-232.50 वर्गफीट यानि 25.83 वर्गगज क्रय करने हेतु आवेदन किया है जिसकी सीमायें निम्नानुसार है :-

पूर्व में : अन्य की भूमि पश्चिम में- आवेदक का मकान (सुमित्रा कोठारी का मकान)

उत्तर में :- गर्ग का मकान दक्षिण में :-लाडूराम का मकान

अत: इस खांचा भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस के भीतर भीतर नगर परिषद कार्यालय ब्यावर में प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। सूचित रहें।

आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

अजमेर कोविड प्रभारी ने अधिकारियों की बैठक ली

- जेएलएन अस्पताल का किया निरीक्षण, चिकित्सा व्यवस्थाओं का लिया जायजा
- अजमेर जिले में फिर मिले 270 कोरोना संक्रमित मरीज

अजमेर, (कासं)। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए कोविड जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई। मंगलवार को अजमेर जिले के कोविड जिला प्रभारी आलोक वशिष्ठ अजमेर पहुंचे। जिला प्रभारी वशिष्ठ ने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जांचा-परखा और पुलिस लाइन में जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर जानकारी ली।

अजमेर जिला कोविड प्रभारी आईपीएस आलोक वशिष्ठ ने बताया कि कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर के बाद वर्तमान में चल रही तीसरी लहर में चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ हुई है और लोगों के टीकाकरण के चलते गम्भीर मामले काम सामने आए हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गाइड लाइन की पालना की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश सहित अजमेर जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलन से रोकने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेसिंग और टीकाकरण पर ध्यान देना जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से समीक्षा भी की। बैठक में जिला कलेक्टर अंशदीप सिंह, एसपी विकास शर्मा, सीएमएचओ डॉ केके सोनी सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इधर जिले के कोविड प्रभारी आलोक वशिष्ठ कोरोना संक्रमण पर अधिकारियों से चर्चा की उधर अजमेर शहर सहित जिले के उपखंड क्षेत्रों में मंगलवार को 270 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले है। उन्होंने बताया कि सोमवार को जिले से 3 हजार 213 संदिग्ध लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से मंगलवार को 270 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इनमें 210 मरीज अजमेर शहर के हैं, जबकि 60 संक्रमित मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से पाए गए हैं। डॉ. सोनी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीमे सेंपलिंग और कांटेक्ट ट्रेसिंग में जुटी हुई। डॉ. सोनी ने बताया कि अजमेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 210 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं पीसांगन 36, मसूदा 11, नसीराबाद सिटी 7, श्रीनगर 3, अराई, ब्यावर, भिनाय, किशनगढ़ सिटी से 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं।

LSG/BEAWAR/MUT/2021-22/21108 DATE-13.01.2022

रजि. वसीयत-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्र./नगरीय विकास कर/2021-22/9044

दिनांक-18/01/2022

सार्वजनिक सूचना

श्री सूर्यप्रकाश पुत्र श्री बिरदीचन्द जी व श्रीमती सरोज देवी पत्नि श्री सूर्यप्रकाश निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 01/08 अग्रसेन नगर द्वितीय प्लाट सं. 15 क्षेत्रफल 204.00 व.ग. जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में उक्त सम्पति श्री सकील अहमद पुत्र श्री सिकन्दर खान के नाम दर्ज है। तत्पश्चात रजि. वसीयत-नामा दिनांक 28-05-2013 शपथ पत्र क्रमांक AY 379219 का प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है।

अत: इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त,नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय नगर परिषद ब्यावर

Tel.No.01462-258665 Email add.npbeawar.gmail.com

क्रमांक/नजूल/21-22/आपत्ति आमंत्रण सूचना/PSKG/ दिनांक :-

आपत्ति आमंत्रण सूचना

श्री माधव गोपाल पुत्र श्री शिवप्रसाद गर्ग जाति अग्रवाल निवासी ब्यावर में नगर परिषद ब्यावर में स्थित अमला मार्ग ब्यावर में स्थित वाणिज्यिक सम्पति से लगती हुई खांचा भूमि क्षेत्रफल 36X15'0-52.55 वर्गफीट यानि 5.83 वर्गगज क्रय करने हेतु आवेदन किया है जिसकी सीमायें निम्नानुसार है :-

पूर्व में : अन्य की भूमि-खाली भूमि पश्चिम में- आवेदक का मकान (माधव गोपाल जी का मकान)

उत्तर में :- आवेदक का मकान (माधव गोपाल जी का मकान)

दक्षिण में :- आवेदक का मकान (माधव गोपाल जी का मकान)

अत: इस खांचा भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस के भीतर भीतर नगर परिषद कार्यालय ब्यावर में प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। सूचित रहें।

आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक:-अविप्रा/प.3/भू.उ.परि./2022/1079 दिनांक 18.01.2022

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प.11 (08) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नम्बर	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेन्ट प्लान2033(जोन2) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री साहिल गोयल पुत्र श्री संजय गोयल	राजस्व ग्राम माकड़वाली	भूखण्ड संख्या 3 खसरा नं.410	266.67 वर्गगज	मिश्रित	आवासीय	व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति/कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावें। अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सदस्य सचिव (भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

हिस्ट्रीशीटर सहित दो बदमाश गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने डीडवाना थाने के एक हिस्ट्रीशीटर सहित उसके साथी बदमाश को गिरफ्तार किया है।

- नागौर शहर से 7 बाइक और पांचौड़ी क्षेत्र से 4 बकरियां चुराई थी

नागौर, (निसं)। शहर में पिछले कुछ दिनों में हुई 7 बाइक चोरियों और पांचौडी थाना क्षेत्र में हुई 4 बकरियों की चोरी का खुलासा हो गया हैं। कोतवाली पुलिस ने डीडवाना थाने के एक हिस्ट्रीशीटर सहित उसके साथी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आया हिस्ट्रीशीटर बदमाश पोक्सो सहित कुछ अन्य मामलों में वांटेड भी चल रहा था। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

कोतवाली थानाधिकारी बृजेन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दिनेश पुत्र भंवरलाल स्वामी (26) निवासी डीडवाना व धर्मप्रीत सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी खाजूवाला को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से एक चोरी की बाइक बरामद की है। आरोपी दिनेश स्वामी डीडवाना थाने का हिस्ट्रीशीटर है और इसपे पहले से कई मामले दर्ज है। ये पोक्सो मामले में वांटेड भी था। दोनों आरोपियों ने नागौर शहर में 7 बाइक चोरियों और पांचौडी थाना क्षेत्र में हुई 4 बकरियों की चोरी कबूली है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अंदेशा है कि कई चोरियों का और खुलासा हो सकता है।

कार्यशाला सम्पन्न

भीलवाडा, (निसं)। राजेन्द्र मार्ग स्कूल में दिनांक 17 जनवरी से 18 जनवरी तक एसएमसी/एसडीएमसी की 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला कोविड-19 गाईडलाईन की पूर्ण पालना करते हुए आयोजित की गई। कार्यशाला के प्रथम दिवस 17 जनवरी को प्रात: विद्यालय के प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्ज्वलन कार्यशाला के.आर.पी. प्रधानाचार्य राउमावि कोचरिया, विजयपाल वर्मा माल्यार्पण एवं के.आर.पी. व्याख्याता राउमावि भोली, बसन्तीलाल शर्मा द्वारा ईश-वन्दना प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समा बांधा। व्यवस्थापक व्याख्याता अशोक कुमार जैथलिया ने बताया कि सी. आर. सी. राजेन्द्र मार्ग अन्तर्गत 10 विद्यालयों के एसएमसी व एसडीएमसी सदस्यों ने इस प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया।

NOTICE

The Permit holder shri Paras Jain Son of Mahaveer Prasad on 01.06.2018 having permit No.1737 to Ply vehicle as

I Madhu Jain wife of late Shri Paras Jain is the person succedding to the possession of vehicle No RJ01PA3256 Covered by the above Permit and intend to use the above permit, and to get the permit/vehicle transport in my name.

Any person having any objection for the transfer of the permit in my name may file his objection in the office of the state/regional Transport Authrity within 30 Days Of Publication of this notice in news paper.

Date..

Madhu Jain

Name of the applicant with address

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार श्री सीताराम गोयल पुत्र श्री शिवशंकर जी गोयल एवं श्रीमती सीमा गोयल पत्नि श्री सीताराम गोयल निवासी 74, सिविल लाईन, अजमेर ने एक सम्पति सिविल लाइन्स, अजमेर स्थित ए.एम.सी. नं. 107/10 (पुराना), 458 (नया) का भाग पर ऋण लेने के लिये आवेदन किया है, जिसे उन्होंने स्वर्गीय महाराज नारायण माथुर के वारिसों से क्रय की है। उक्त सम्पति आंशिक रूप से खरीदे जाने के कारण विक्रेता ने क्रय के मूल दस्तावेज क्रेता को सुपूर्द नहीं किये है जिससे वह सम्यापित प्रतिलिपी के आधार पर ऋण चाहते है। जिस किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में किसी भी तरह की आपत्ति हो वह 7 दिन के भीतर मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, कचहरी रोड़, अजमेर के यहां लिखित आपत्ति दर्ज करायें, मयाद गुजरने के बाद बैंक ऋण प्रदान कर देगा जिसके लिए भविष्य में उपरोक्त पक्षकार एवं बैंक किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगें।

कृते पंजाब नेशनल बैंक

मुख्य प्रबन्धक, कचहरी रोड़, अजमेर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन पुष्कर अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

क्रमांक:-LU2012/ADA/2021-22/100500 दिनांक :-18.01.2022

लोक सूचना

श्री DR. RC GUPTA पुत्र श्री SURAJBHAN GUPTA जाति AGARWAL निवासी ANASAGAR CIRCULAR ROAD, VAISHALI NAGAR, AJMER,

श्रीमती NIRMALA GUPTA पत्नि श्री RAMESH CHAND GUPTA जाति AGARWAL निवासी ANASAGAR CIRCULAR ROAD, VAISHALI NAGAR, AJMER

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन ईकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	देवनगर पुष्कर (अजमेर)	DR. RC GUPTA	618/2672	3500	0.35
2	देवनगर पुष्कर (अजमेर)	DR.RAMESH CHAND GUPTA HUF	3695/633	2567	0.2567
3	देवनगर पुष्कर (अजमेर)	DR.RAMESH CHAND GUPTA HUF	3697/634	300	0.03
4	देवनगर पुष्कर (अजमेर)	DR.RAMESH CHAND GUPTA HUF	632	5500	0.55
5	देवनगर पुष्कर (अजमेर)	DR.RAMESH CHAND GUPTA HUF	631	10700	1.07
6	देवनगर पुष्कर (अजमेर)	DR.RAMESH CHAND GUPTA HUF	631/2997	700	0.07
7	देवनगर पुष्कर (अजमेर)	NIRMALA GUPTA	630	6300	0.63
8	देवनगर पुष्कर (अजमेर)	NIRMALA GUPTA	630/2993	4500	0.45
				कुल	3,4067

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संम्बधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझ जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18.01.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन पुष्कर, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

दुपहिया वाहन चोर गिरोह का खुलासा

रायला थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दो वाहन चोरों को पकड़ा।

- दो वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 24 बाइक बरामद

भीलवाडा, (निसं)। जिले की रायला थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से चोरी की 24 मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

भीलवाड़ा एसपी आदर्श सिधु ने बताया कि 17 जनवरी को थाना बनेड़ा निवासी प्रभु लाल कुमावत तेजाजी मंदिर सनोदिया में दर्शन करने गया था। दर्शन कर वापस लौटा तो उसकी गाडी चोरी हो गई थी। पीडित की रिपोर्ट पर थाना रायला पर मुकदमा दर्ज कर थानाधिकारी सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।

गठित विशेष टीम ने घटना के संबंध में गहन अनुसंधान कर पूर्व में ऐसे अपराधों में चालनशुदा अपराधियों के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। मुखबिर नियुक्त कर संदिग्धों की तलाश की गई। इस दौरान सनोदिया थाना रायला निवासी पांचू लाल उर्फ पीके बैरवा पुत्र गोपाल लाल (22) एवं राज का देवरिया थाना शंभूगढ़ निवासी बाबूलाल उर्फ कमलेश बैरवा (19) को डिटेन कर पूछताछ की तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। एसपी सिधु ने बताया कि दोनों वाहन चोरों से गहन पूछताछ की तो उन्होंने इस वारदात के अलावा गुलाबपुरा,, विजयनगर, मांडल, शंभूगढ, आसींद तथा आसपास के थाना सर्किल में मोटरसाइकिल की चोरी की कई वारदातें करना स्वीकार किया। जिनकी निशानदेही पर अलग-अलग थाना क्षेत्र से चुराई गई कुल 24 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है जिनसे और भी वारदातों के खुलासा होने की पूर्ण संभावना है। इस वारदात का खुलासा करने में कांस्टेबल श्याम सुंदर की विशेष भूमिका रही है।

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक:न.पा.गु./कृषि भूमि/2021-22/1055-1057 दिनांक: 18.01.2022

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शिवचरण माथुर कॉलोनी में लीज डीड राशि नियमन के तहत पट्टे प्राप्त किए जाने के लिए निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए है जिसके निस्तारण किए जाने में किसी आम-खास/संस्था आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 07 दिवस में लिखित रूप से आपत्तिकर्ता मय अपने दस्तवेजों के इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। बाद मियाद अवोदक (अन्तिम क्रेता) के पक्ष में नियमन की कार्यवाही की दी जावेगी।

शिवचरण माथुर कॉलोनी लीज राशि

क्र. सं.	नाम मूल आवंटी/ आवेदक	भूखण्ड संख्या	नाप (वर्गफीट)	अनुज्ञा-पत्र क्रमांक/दिनांक	पड़ौसान
1	श्री श्रवणलाल पुत्र श्री मुलाराम सरागरा नया जोरावरपुरा गुलाबपुरा	03-A-14	18X37.5	000422/ 15.12.1997	पूर्व- सड़क 40 फीट पश्चिम-भूखण्ड संख्या 3-A-47 उत्तर- भूखण्ड संख्या 3-A-13 दक्षिण-भूखण्ड संख्या 3-A-15

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गुलाबपुरा